जो मासिक परिलब्धियां प्राप्त करनी चाहिए, दी गई है :-

टाइप I—175 रुपये प्रति माह से कम

टाइप II—175 रुपये से 349 रुपये तक

टाइप III—350 रुपये से 499 रुपये तक

टाइप IV—500 रुपये से 799 रुपये तक

टाइप V—800 रुपये से 1299 रुपये तक

टाइप VI—1300 रुपये से 2249 रुपये तक

टाइप VII—2250 रुपये और उससे अधिक (टाइप VIII के पात्र लोगों को छोड़ कर)

टाइप VIII— भारत सरकार के सचिवों तथा अपर सचिवों के स्तर के अधिकारीगण ।

(ख) सरकारी कर्मचारी को आवंटित सरकारी वास का किराया मूल नियम 45-ए के मानक किराये की दर से वसूल किया जाता है (जहाँ किराये पूलित हैं तो पूल्ड मानक किराया) अथवा परिलब्धियों का 10 प्रतिशत (उस कर्मचारी जिसकी परिलब्धियां 150.00 रुपये प्रति मास से कम हों, उस मामले में परिलब्धियों का 7½ प्रतिशत), इनमे जो भी कम हो ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

f TTHE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY): (a) The type of Government residence allotted to a Government employee is based on his monthly emoluments as on the 1st day of the Allotment Year and not on the class of post held by hirn. The undermentioned table gives the types of residences and the monthly emoluments an employee should draw for the purpose:

Type-I—Less than Rs. 175.00 p. m.

Type-II—From Rs. 175.00 to Rs. 349.00.

Type-III—From Rs. 350.00 to Rs. 499.00.

Type-IV—From Rs. 500.00 to Rs. 799.00.

Type-V—From Rs. 800.00 to Rs. 1299.00.

Type-VI—From Rs. 1300.00 to Rs. 2249.00.

Type-VII—Rs. 2250.00 and above (except those eligible for Type-VIII).

Type-VIII—Officers of the status of Secretaries and Addl. Secretaries to the Govt, of India.

(b) Rent for the Government residence allotted to a Government employee is recovered at the rate of standard rent under F.R. 45-A(pooled standard rent where rents have been pooled) or 10 per cent of the emoluments (7£ per cent of the emoluments in case of employees whose emoluments are below Rs. 150.00 per mensem), whichever is less.

(c) and (d) Do not arise.]

दिल्ली में आयुर्वैदिक डिस्पेंसरियां

481. श्री सूरज प्रसाद : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में इस समय कितनी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि पिछले एक वर्ष में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियों में मरीजों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर 'हां' हो तो क्या सरकार राजधानी में एक सरकारी ग्रायुर्वेदिक ग्रस्पताल खोलने का विचार रखती है; ग्रौर यदि हां, तो कब ग्रौर यह ग्रस्पताल किस जगह खोला जायेगा ?

t [AYURVEDIC DISPENSARIES IN DELHI

481. SHRI SURAJ PRASAD: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the number of Ayurvedic Dispensaries functioning at present in the capital;

(b) whether it is a fact that there has been a considerable increase in the number of patients in the Ayurvedic Dispensaries during the last one year; and

(c) if the answer to the part (b) above in the affirmative whether Government propose to open a Government Ayurvedic Hospital in the capital and if so, when and where it will be located?]

f[THE MINISTER OF STATE IN THE **स्वास्थय, तथा परिवार नियोजन, ग्रौर निर्माण, ग्रावास ग्रौर नगर विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री बी० एस० मूर्ति)** : (क) 36 ग्रौषधालय ग्रौर दो ग्रस्पताल हैं ।

(ख) कुछ वृद्धि हुई है ।

(ग) चौथी पंच वर्षीय योजना म दिल्ली नगर निगम द्वारा हैदरपुर गांव में एक ग्रायुर्वेदिक ग्रस्पताल खोलने का विचार है ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY): (a) There are 36 dispensaries and two hospitals.

(b). Some increase has been registered.

(c) One Ayurvedic Hospital is proposed to be openod at Hyderpur vil[J] lage by the Delhi Municipal Corporation during the 4th Five Year Plan.]

राष्ट्रीयकृत बंकों द्वारा दिये गये कर्जे

482. **श्री सूरज प्रसाद :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) राष्ट्रीयकरण के बाद से प्रत्येक बैंक द्वारा देश में कितना-कितना कर्जा किसानों को ट्रैक्टरों, ट्यूबवैलों, बीजों के लिये तथा टैक्सी मालिकों, टैम्पो मालिकों ग्रौर लघु उद्योगों को दिया गया; ग्रौर

(ख) क्या सरकार खेती के लिये कम ब्याज पर ऋण देने के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों को ग्रनुदेश जारी करेगी; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

•(•[LOANS ADVANCED BY NATIONALISED BANKS

482. SHRI SURAJ PRASAD: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the amount of loans advanced by each of the banks since their nationalisation to the farmers in the country for tractors, tubewells, seeds and also to taxi owners, tempo-owners and to small-scale industries separately; and

(b) whether Government propose to give a directive to the nationalised banks to advance agricultural loans on low rates of interest; if not, what are the reasons therefor?]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) :(क) राष्ट्रीय कृत बैंकों में से प्रत्येक बैंक द्वारा किसानों को ट्रैक्टरों, नलकूपों, बीजों ग्रौर ग्रन्य कृपि-उपयोगी वस्तुग्रों के लिये ग्रौर सड़क परिवहन चालकों को (जिनमें टैक्सियों के मालिक ग्रौर टेम्पों-गाड़ियों के मालिक भी शामिल हैं) तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये गये ऋणों की जून, 1969 ग्रौर दिसम्बर 1969 के ग्रन्त में बकाया रकमों के तुलनात्मक ग्रांकड़े विवरण (**देखिए** परिशिष्ट LXXI ग्रनुपत्र संख्या 32 से 34) में ग्रलग ग्रलग दिये गये हैं ।

f [ ] English translation.